आदेश से लेकर

8/6/17 पत्रावली आज वास्ते कैम्प कोर्ट [illegible] पर पेश हुई। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भीलवाड़ा

संकरी प्रति

न्यायालय सहायक कलक्टर(फर्स्ट ट्रेक)भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः— सैथूरिया
पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—11/2016

उनवान

1. श्रीमति नन्दू बाई पत्नी श्री लेहरू गाडरी निवासी सैथूरिया तहसील व जिला भीलवाडा

—:वादीः—

बनाम

1. श्रीमति शंकरी बाई पत्नी श्री लेहरू गाडरी निवासी सैथूरिया तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री नारायण पिता स्व लेहरू गाडरी नाबालिग जरिये माता शंकरी बाई पत्नी स्व0 लेहरूलाल गाडरी निवासी सैथूरिया तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्रीमति मांगी बाई पत्नी श्री उदयराम गाडरी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील गंगरार हॉल नेवरिया तहसील राशमी जिला चितोडगढ
4. श्रीमति सोहनी पुत्री चुना गाडरी पत्नी श्री शंकर गाडरी निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चितोडगढ
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—:प्रतिवादीगणः—

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53,54 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजीयात

निर्णय दिनांकः—08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व केम्प कोर्ट सैथूरिया पर पेश हुई, प्रतिवादी सं0 01 उपस्थित वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,54 व 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर ग्राम सैथूरिया के खाता संख्या 340, 341, 337, 54,49 की आराजीयात में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त दर्ज होकर मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन नही होने से मौके पर विवाद होता रहता है। अतः वादीया को 1/2 हक हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन से राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाते कायम कराये जावे।

वादीया का वाद पत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा कोई प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए जिससे प्रतिवादी सं0 2,3,4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादीया के प्रकरण में खण्डन हेतु प्रतिवादी सं0 01 ने उपस्थित होकर वादीया का वाद पत्र खारीज कराने की प्रार्थना की गई है। पक्षकारान के मध्य न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा के प्र0सं0 42/2015 निर्णय दिनांक 30.10.2015 से अपीलार्थी शंकरी वगै0 की अपील स्वीकार की गई, इस निर्णय के विरूद्ध वादीया ने न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त अजमेर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जिसमे निर्णय दिनांक 30.03.2017 से अपील संख्या 131/2015 बउनवानी श्रीमति नंदू बनाम शंकरी को उमास्त किया गया एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 30.10.2015 को यथावत रखा गया, इस प्रकार श्रीमति नन्दू पुत्री जीतू पत्नी कालू हॉल नातायत पत्नी स्व0 लेहरू की विधिक वारिसान की श्रेणी में नही रहती है। जिससे वादीया के वादपत्र में विभाजन की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वादीया मृतक लेहरू की वादग्रस्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री एंव विभाजन की डिक्री जारी कराने की प्रथम दृष्ट्या अधिकारी नही है। वादिया का वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के अनुसार स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतः एंव

आदेश

वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,54 व 188 आर.टी.ए. का सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 राजस्व केंम्प कोर्ट सैथूरिया पर लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

राजस्व केम्प कोर्टः– सैथूरिया
पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

1. श्रीमति नन्दू बाई पत्नी श्री लेहरू गाडरी निवासी सैथूरिया तहसील व जिला भीलवाडा

–:वादीः–

बनाम

1. श्रीमति शंकरी बाई पत्नी श्री लेहरू गाडरी निवासी सैथूरिया तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री नारायण पिता स्व लेहरू गाडरी नाबालिग जरिये माता शंकरी बाई पत्नी स्व0 लेहरूलाल गाडरी निवासी सैथूरिया तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्रीमति मांगी बाई पत्नी श्री उदयराम गाडरी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील गंगरार हॉल नेवरिया तहसील राशमी जिला चितोडगढ
4. श्रीमति सोहनी पुत्री चुना गाडरी पत्नी श्री शंकर गाडरी निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चितोडगढ
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–:प्रतिवादीगणः–

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53,54 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजीयात

प्रकरण संख्या 11/16
निर्णय दिनांक 08.06.2017

वादी की और से अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी की और से प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित में इस वाद के आज दिनांक 08.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पैश होने पर आदेश दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,54 व 188 आर.टी.ए. का सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्टः–सैथूरिया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाडा